

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म०प्र०)

क्रमांक स्था.दो/(1)/2019/80/

दिनांक /02/2024

// आदेश //

वित्त विभाग, म.प्र. शासन के परिपत्र क्रमांक/एफ. 11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24/01/2008 एवं परिपत्र क्र. 11-17/2014/नियम/चार दिनांक 30/09/2014 तथा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देश जो विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्र. स्था.दो/(1)/25/स.मा.वे./325, दिनांक 18/03/2015 के द्वारा अंगीकृत हैं, में दिए गए दिशा निर्देश, समस्त शर्तों के अनुसार एवं चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित कर्मचारी को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर समयमान वेतनमान योजना (जो दिनांक 01 जुलाई, 2014 से प्रभावशील है) के अंतर्गत उनके नाम के समक्ष कॉलम क्रमांक 5 में दर्शित तृतीय उच्चतर वेतनमान, कॉलम क्रमांक 6 में दर्शाई गई तिथि से स्वीकृत किया जाता है -

क्र.	कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय का नाम	प्रथम नियुक्ति की तिथि	30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि	तृतीय उच्चतर वेतनमान (लेवल)	स्वीकृति की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री दुर्गा शंकर सिंगरहा, सहायक श्रेणी-3 (वर्तमान सहायक श्रेणी-2), संचालनालय, विस्तार सेवाएं, ज.ने. कृ.वि.वि., जबलपुर	11.12.1992	10.12.2022	Level-8	11.12.2022

कुलपतिजी के आदेशानुसार,

सही
कुलसचिव

पृष्ठा क्रमांक स्था.दो/(1)/2019/80/145

दिनांक 22/02/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. निजसचिव माननीय कुलपतिजी/कुलसचिव, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
 2. संचालक, विस्तार सेवाएं, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
 3. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
 4. प्रभारी, वि.वि. वैबसाईट, उपकरण विनियोग केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर की ओर वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
 5. संयुक्त संचालक, आवासीय संपरीक्षा, जबलपुर।
 6. सहायक कुलसचिव स्थापना/विधि/सामान्य, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
 7. अनुभाग अधिकारी, भविष्य निधि/सामान्य/विधि/वेतन निर्धारण/बजट एवं वित्त/पेंशन, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
 8. संबंधित श्री/श्रीमति
 9. व्यक्तिगत/सुरक्षा नस्ती।
- टीप- समस्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी कृपया संबंधित कर्मचारी से वचनपत्र (प्रारूप संलग्न) प्राप्त करने के उपरांत ही वेतन निर्धारण की कार्यवाही करें।

कुलसचिव

// वचन-पत्र //

मैं पिता/पत्नि पद

नाम..... कार्यालय.....

यह वचन देता/देती हूँ कि विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक स्था.दो/(1)/.....

दिनांक के परिपालन में प्रदाय किये जा रहे प्रथम/द्वितीय/तृतीय समयमान

वेतनमान में किसी भी प्रकार से अतिरिक्त राशि का भुगतान होने पर अतिरिक्त भुगतान की

गई राशि की वसूली का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा तथा उक्त वसूली मुझे

देय स्वत्वों से की जावेगी जिस पर मुझे एवं मेरे उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं

होगी।

स्थान -

दिनांक -

वचनकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पद

कार्यालय